

वितान

भाग 1

कक्षा 11 के लिए हिंदी (आधार) की पूरक पाठ्यपुस्तक



11067



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

11067 – वितान (भाग 1)

कक्षा 11 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-554-7

प्रथम संस्करण

मई 2006 वैशाख 1928

पुनर्मुद्रण

नवंबर 2006 पौष 1928

दिसंबर 2007 पौष 1929

फरवरी 2009 माघ 1930

जनवरी 2010 माघ 1931

जनवरी 2011 माघ 1932

जून 2012 ज्येष्ठ 1934

नवंबर 2012 कार्तिक 1934

जनवरी 2014 पौष 1935

फरवरी 2015 माघ 1936

दिसंबर 2015 अग्रहायण 1937

दिसंबर 2016 पौष 1938

जनवरी 2018 माघ 1939

दिसंबर 2018 अग्रहायण 1940

अक्तूबर 2019 अश्विन 1941

जनवरी 2021 पौष 1942

जुलाई 2021 आषाढ़ 1943

नवंबर 2021 अग्रहायण 1943

PD 120T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006

₹ 35.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा बेरी आर्ट प्रैस, ए-9, मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-I, नयी दिल्ली - 110 064 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिनिधि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक को विक्रो इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक को पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैपस

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेकेरे

बनाशंकरी III इस्टेज

बैंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पतिहटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	:	अनूप कुमार राजपूत
मुख्य संपादक	:	श्वेता उप्पल
मुख्य उत्पादन अधिकारी	:	अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक	:	विपिन दिवान
संपादक	:	नरेश यादव
उत्पादन अधिकारी	:	ए. एम. विनोद कुमार
आवरण एवं सज्जा	:	अरविंदर चावला
चित्र	:	कल्लोल मजुमदार अरविंदर चावला

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितनी वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरीयत

की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहल से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस, और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा समिति के अध्यक्ष प्रो. नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रो. पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थानों और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी. पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनीटरिंग कमेटी) द्वारा नामित अशोक वाजपेयी और सत्यप्रकाश मिश्र को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

नयी दिल्ली

20 दिसंबर 2005

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
और प्रशिक्षण परिषद्

यह पुस्तक

आज की तेजी से बदलती दुनिया में बच्चों को कुछ ऐसा भी पढ़ने को मिलना चाहिए जो उन्हें पाठ्यपुस्तक की एकरसता और बोझ से बाहर निकाले। वे उन्मुक्त संसार में पींगें बढ़ा सकें। उस पढ़ाई में वह सब हो जो उन्हें ज्ञान की विशाल दुनिया तक ले जाने में मददगार साबित हो। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप रेखा-2005 पाठ्यपुस्तक के साथ-साथ बच्चों की पूरक पाठ्यसामग्री पर विशेष बल देती है। वितान भाग 1 (कक्षा 11, आधार पाठ्यक्रम) की परिकल्पना इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर की गई है। पूरक पाठ्यपुस्तक की सोच के पीछे यह भी उद्देश्य रहा है कि पाठ्यपुस्तक के दायरे में न समा सकने वाली सामग्री को बच्चों के सामने रुचिकर ढंग से प्रस्तुत किया जाए।

इस किताब में कुल चार रचनाएँ संग्रहीत हैं। चारों रचनाएँ मिलकर एक नया संसार रचती हैं। इस नयी रचावट को कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर देखा जा सकता है। चयन में इसका खयाल रहा है कि विद्यार्थी छोटी रचनाओं के साथ-साथ एक लंबी रचना (आलो-आँधारि) का आनंद लें और उन्हें लंबी रचनाओं को पढ़ने का चस्का लगे।

पहली रचना है *गायिकाओं में बेजोड़ : लता मंगेशकर*। संगीत की दुनिया की वह आवाज़ जिसे सब जानते हैं। जिसे सब पहचानते हैं। पर इस ओर कम लोगों का ध्यान गया होगा कि बच्चों की अभिरुचि के विकास में उस आवाज़ का क्या योगदान है? दिनोदिन सुरीले होते किशोर और युवा तथा उनके थिरकते पाँव का राज क्या है? लता यानी सुगम संगीत या फ़िल्मी संगीत का सुरीला इतिहास। एक ऐसा सुर जिसने एक शास्त्रीय गायक को कलम उठाने पर विवश कर दिया। मूल हिंदी में लिखी गई कुमार गंधर्व की यह रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। यह शास्त्रीय संगीत और फ़िल्मी संगीत को एक धरातल पर ला रखने का साहस है। यह ऐसी परख है जो न शास्त्रीय है न सुगम। बस संगीत है। गानपन की पहचान है।

जहाँ एक ओर संगीत जिंदगी को लय देता है, ताज़गी देता है, हर मोड़ पर आनेवाले उतार-चढ़ाव से जूझने की ताकत देता है, मन को उन्मुक्त करता है; वहीं दूसरी ओर पर्यावरण इस उन्मुक्त मन को खुला आकाश देता है, साँस भरने को। जिजीविषा को मकसद देता है, संघर्ष करने को। इस किताब की दूसरी रचना है *राजस्थान की रजत बूँदें*। यह रचना एक राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है। यह ज़मीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे-धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में संगीतमय गद्य की पहचान है। इस पहचान से विद्यार्थियों का ताल मिले, यह वितान की उपलब्धि होगी।

इनके साथ-साथ एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथ है, पड़ोस में है, लेकिन अनदेखी है। इस दुनिया में प्रवेश कराने की हिमाकत है *आलो-आँधारि* नामक आत्म कथांश की प्रस्तुति। यह कहानी है उन लाखों, करोड़ों झुग्गियों की जिसमें झाँकना भी भद्रता के तकाज़े से बाहर है। यह चुनौती है साहित्य के उन पहरुओं को जो साहित्य को साँचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने-अँतरे पनपते साहित्य को हाशिये पर रखते हैं और भाषा एवं साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं।

बेबी इस कथा की नायिका भी है और लेखिका भी। मात्र तेरह वर्ष की होते-होते सातवीं की पढ़ाई अधूरी छोड़ वह एक अधेड़ से ब्याह दी जाती है और जीवन के सबसे संवेदनशील उम्र में तीन बच्चों की माँ बन जाती है। वही बेबी पति की ज़्यादतियों को न बर्दाश्त कर शुरू करती है एक ऐसी यात्रा जो न तो उसने पहाड़ों पर की, न समुद्रतट पर और न ही स्टडीरूम में बैठकर। एक ऐसी आपबीती जो मूलतः बांग्ला में लिखी गई लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाज़ार में आने से पहले ही अनूदित रूप में हिंदी में आई। अनुवादक प्रबोध कुमार ने एक *जबान*

को दूसरी ज़बान दी पर रूह को छुआ नहीं। एक बोली की भावना दूसरी बोली में बोली, रोई, मुसकुराई (आलो आँधारि की भूमिका से)। अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेज़ी से होनेवाले अनुवादों के बीच भारतीय भाषाओं में रची-बसी हिंदी का एक अनुकरणीय नमूना है आलो-आँधारि।

चौथी रचना भारतीय कलाएँ शीर्षक से संग्रहित हैं। इसमें हिंदी के विद्यार्थियों को भारतीय कलाओं से रू-ब-रू कराने की कोशिश की गयी है। इस पाठ द्वारा यह भी कोशिश है कि कलाओं और भाषाओं के बीच अंतर्संबंध की समझ बन सके।

किताब के अभ्यासों में यह प्रयास रहा है कि पाठों के बहाने विद्यार्थी की अपनी दुनिया बने। संगीत, पर्यावरण या एक घरेलू नौकरानी के ज़रिये वे अपने समय, समाज और संस्कृति की दुनिया में बेरोक-टोक घूम सकें। तभी सही मायने में यह पुस्तक वितान (फैलाव) बन सकेगी। उम्मीद है, अपने मकसद में कामयाब होगी। सुझावों का स्वागत रहेगा।



भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

सदस्य-समन्वयक

संध्या सिंह, प्रोफेसर, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली





इस पुस्तक के निर्माण में अकादमिक सहयोग के लिए हम निम्नलिखित के आभारी हैं:

उषा शर्मा, एसोशिएट प्रोफेसर, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली; नीलकंठ कुमार, पी.जी.टी., प्रतिभा विकास विद्यालय, सेक्टर 10, द्वारका, नयी दिल्ली।

हम निदेशक द्वारा निर्मित समीक्षा समिति की अध्यक्ष सरोज बाला यादव, प्रोफेसर एवं डीन (एकेडमिक), एन.सी.ई.आर.टी. के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

हम इस पुस्तक के पाठ 'भारतीय कलाएँ' की रचना के लिए संध्या सिंह, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. एवं उसमें उपयोग किए गए चित्रों के लिए assam.gov.in; mizoram.gov.in; certindia.gov.in; संस्कृति अर्धवार्षिक अंक 2007 भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय शास्त्री भवन, नयी दिल्ली के आभारी हैं।

पुस्तक के निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए परिषद्, परशराम कौशिक, प्रभारी, कंप्यूटर स्टेशन (भाषा विभाग); प्रमोद कुमार तिवारी और समीना उस्मानी, कॉपी एडिटर; कमलेश कुमारी, इन्दुमति सरकार और भगवती अम्माल, प्रूफ रीडर; कमल कुमार, विजय कुमार और जयप्रकाश राय, डी.टी.पी. ऑपरेटर एवं बेबी हालदार के चित्र के लिए श्रीधरम की आभारी हैं।





विषय-सूची

आमुख

iii

यह पुस्तक

v

- | | | |
|--|----------------|----|
| 1. भारतीय गायिकाओं में
बेजोड़ : लता मंगेशकर | - कुमार गंधर्व | 1 |
| 2. राजस्थान की रजत बूँदें | - अनुपम मिश्र | 9 |
| 3. आलो-आँधारि* | - बेबी हालदार | 21 |
| 4. भारतीय कलाएँ | | 59 |
| 5. लेखकों के बारे में | | 71 |



* अँधेरे का उजाला

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह -

- (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;
- (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;
- (च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और
- (ट) यदि माता-पिता या संरक्षक हैं, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।